न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

विजय कुमार पुत्र श्री कान्हा जी माली, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः– माली वास, असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 67/2025

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

–: निर्णय :– **दिनांक 08 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 05–3–2025 को मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार पुत्र श्री कान्हा जी माली, माली वास, असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) का नमूना संख्या S-2578, खाद्य विश्लेषक, जयुपर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./884/Act/2025/931 दिनांक 19–3–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08–4–2026 को प्रतिवादी विजय कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी विजय कुमार को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने पैकिंग घी खरीद कर बेचा है, उसने कोई मिलावट नही की है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 05–3–2025 को 02–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली, निवासी– माली वास, असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के 14 गत्ता पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, सिरोडी की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के 14 गत्ता पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के 04 गत्ता पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/– (रुपये दो सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार व उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2578, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के खरीदशुदा चारों गत्ता पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 06–3–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीयच जन स्वास्थ्य प्रयोशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 05–3–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली से खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जयपुर से खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के नमूना संख्या S-2578 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./884/Act/2025/931 दिनांक 19–3–2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय कुमार ने उक्त खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

स्पष्ट है कि प्रतिवादी विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व)(नमूना संख्या S-2578) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ देशी घी (ब्राण्ड श्री पार्श्व) (नमूना संख्या S-2578) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पता: मालीवास, असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी विजय कुमार पुत्र कान्हा जी माली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स महादेव ट्रेडिंग, मैन बाजार, हाईवे रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 08 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)